



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
कक्ष संख्या 1025, दशम तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्रांक: 112-उनिलि/2013/उप्रराविउसेआ/2016/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति)

दिनांक: 09 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 यथासंशोधित के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम में कार्यरत श्रेणी पी-4, पी-5 एवं पी-6 के परिचालकीय कार्मिक (कुशल), की "U.P. State Electricity Board Sub-ordinate Electrical & Mechanical Engineering Service Regulation-1972" यथा संशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत अवर अभियन्ता के 97 पदों पर पदोन्नति के लिये आवेदन पत्र कार्यालय ज्ञाप संख्या 106-उनिलि/2013/उप्रराविउसेआ/2014/आपरेटिंग स्टाफ/प्रोन्नति दिनांक 22.04.2014 द्वारा आमंत्रित करते हुए निगम स्तर में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह आवेदकों की मेरिट सूची तैयार कर घोषित की गयी। उक्त मेरिट सूची पर आपत्तियाँ प्राप्त होने के दृष्टिगत निगमादेश संख्या 50/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168-27/2016 दिनांक 08.03.2016 द्वारा पूर्व निर्गत आदेश संख्या 08/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम: 157-33/2013 दिनांक 16.01.2014 के प्रस्तर 17(1)(a)(iv) को निदेशक मण्डल द्वारा स्पष्ट करते हुए अनुभव के लिए निर्धारित 35 अंकों के निर्धारण, श्रेणी पी-4, पी-5 व पी-6 के पदों पर बिना व्यवधान के की गई सेवा अवाधि के चयन वर्षों के आधार पर किये जाने हेतु आदेशित किया गया।


आदेश संख्या 50/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168-27/2016 दिनांक 08.03.2016 निर्गत होने के फलस्वरूप चयन प्रावधानों के संशोधन प्रभावी हो जाने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या 106-उनिलि/2013/उप्रराविउसेआ/2014/आपरेटिंग स्टाफ/प्रोन्नति दिनांक 22.04.2014 द्वारा पूर्व प्रावधानों के अन्तर्गत की जा रही चयन प्रक्रिया सम्बन्धी समस्त कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन)
उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०

पत्रांक: 112-उनिलि/2013/उप्रराविउसेआ/2016/आपरेटिंग स्टाफ/चयन (प्रोन्नति) तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफीसर/निजी सचिव।
3. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-2) मानव संसाधन/कारपोरेट स्ट्रेटजी/पीपीएमएम/जानपद-भवपरियोजना/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/आर०एण्डएम०/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. कम्पनी सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्रगति), उ०नि०लि०, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस पत्र को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करवाने हेतु।
7. प्रकरण के सम्बन्धित अधिवक्ता को निगमादेश निगमादेश संख्या 50/उनिलि/रिफॉर्म/विनियम:168-27/2016 दिनांक 08.03.2016 की प्रति के साथ मा० उच्च न्यायालय को उपरोक्तानुसार संज्ञानित किये जाने के अनुरोध के साथ।
8. सूचना-पट, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग/उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन/विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।


(दिलीप कुमार ओझा)
सचिव